

फोन नं. 0562-4304078
पुलिस माडर्न स्कूल, रिजर्व पुलिस लाइंस कमिश्नरेट, आगरा।

कैंटीन निविदा आमंत्रण सूचना

पुलिस माडर्न स्कूल, रिजर्व पुलिस लाइंस, कमिश्नरेट आगरा में दिनांक 31.03.2025 तक सूक्ष्म जलपान विक्रय हेतु कैंटीन किराये पर संचालित किये जाने के लिए निविदा आमंत्रित की जाती है। इच्छुक व्यक्ति अथवा ठेकेदार दिनांक 10/04/2024 तक प्रातः 08:00 बजे से अपरान्हः 01:00 बजे तक विद्यालय के कार्यालय से निःशुल्क निविदा फार्म प्राप्त एवं विद्यालय की बेवसाइट www.policemodernschoolagra.com से डाउनलोड कर सकते हैं। पूर्ण रूप से भरे हुए मुहरबंद निविदा दस्तावेज दिनांक 10/04/2024 को अपरान्ह 01:30 बजे खोला जायेगा।

पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय), पुलिस कमिश्नरेट, आगरा



पुलिस मॉडर्न स्कूल, रिजर्व पुलिस लाइंस कमिश्नरेट, आगरा
POLICE MODERN SCHOOL, RESERVE POLICE LINES COMMISSIONERATE, AGRA

दूरभाष : 0562-4304078 वेबसाइट: policemodernschoolagra.com ई-मेल: pms.agra@yahoo.com

कैंटीन निविदा फार्म

1. इच्छुक अभ्यर्थी का नाम :
2. पिता/पति का नाम :
3. पता :
4. थाना :
5. तहसील :
6. जिला :
7. आधार संख्या :
8. पैन कार्ड संख्या :
9. जी0एस0टी0 संख्या :
10. मोबाइल नं0 :
11. सूक्ष्म जलपान कैंटीन हेतु मासिक किराया :
12. FSSAI License Number यदि है तो :
13. कैंटीन संचालन का अनुभव :

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर

अभ्यर्थी का पूरा नाम :

पता व मोबाइल संख्या :

विद्यालय कैंटीन में विक्रय किये जाने वाली खाद्यान पदार्थों की सूची

क्र० सं०	खाद्यान सामग्री का नाम	कैंटीन समिति द्वारा निर्धारित दर (मूल्य)	विक्रय की जाने वाली दर (धनराशि)
1.	समोसा	10/- प्रति नग (बड़ा)	
2.	आलू चाट	10/- मध्यम दौना	
3.	भेलपूरी	10/- मध्यम दौना	
4.	सैंडविच	20/- प्रति नग	
5.	चाय (छोटा कप)	07/- प्रति नग	
6.	चाय (बड़ा कप)	10/- प्रति नग	
7.	चना चाट	10/- मध्यम दौना	
8.	इडली सांबर (स्टैंड साइज)	15/- प्रति	
9.	फ्रूटी (जूस)	10/- प्रति नग	
10.	सांबर बड़ा	20/- प्रति	
11.	पोहा	10/- प्रति दौना	
12.	ब्रेड पकौड़ा	10/- प्रति नग	
13.	बर्गर	20/- प्रति नग	
14.	बिस्किट (ब्राडेंड कम्पनी)	बाजार मूल्य पर	
15.	अंकुरित दाल व चना	10/- दौना	
16.	फ्रूट चाट	15/- दौना	
17.	पानी बोटल (ब्राडेंड कम्पनी)	बाजार मूल्य पर	
18.	टॉफी (ब्राडेंड कम्पनी)	बाजार मूल्य पर	
19.	छाछ (ब्राडेंड कम्पनी)	बाजार मूल्य पर	
20.	दूध (फ्लेवर्ड मिल्क) (ब्राडेंड कम्पनी)	बाजार मूल्य पर	
21.	कॉपी/पेन्सिल/पेन/रजिस्टर व स्टेशनरी का सामान	बाजार मूल्य पर	

*FSSAI के गाइड लाइन के अनुसार ही कैंटीन में खाद्यान सामग्री ही विक्रय किये जाने की अनुमति होगी।

विद्यालय कैंटीन की सामान्य शर्तें

1. जिस किसी भी व्यक्ति को नियमानुसार कैंटीन आवंटित होगी, उसे जमानत धनराशि रू0 5,000/- अग्रिम जमा करानी होगी। जो कैंटीन छोड़ने के एक माह बाद वापस की जायेगी।
2. कैंटीन का मासिक किराया प्रतिमाह दिनांक 07 से 10 तक के मध्य अग्रिम देय होगा। कैंटीन का मासिक किराया विद्यालय के बैंक खाते में जमा कराकर एक प्रति विद्यालय में उपलब्ध करानी होगी।
3. कैंटीन संचालन सम्बन्धी आपके कार्यो एवं गुणवत्ता का आंकलन विद्यालय कैंटीन समिति द्वारा किया जायेगा। यदि आपका कार्य संतोषजनक नहीं पाया जाता है तो कैंटीन समिति द्वारा लिये गये निर्णय के आधार पर आपका अनुबन्ध निरस्त कर दिया जायेगा। जिसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे।
4. विक्रय की जाने वाली सामग्री की सूची कैंटीन समिति द्वारा प्रमाणित करके ही विक्रय की जायेगी।
5. यदि कैंटीन संचालक द्वारा कैंटीन का संचालन निर्धारित अवधि से पहले ही बंद करना चाहता है तो इसकी सूचना 02 माह पूर्व देनी होगी। अन्यथा उसकी जमानत धनराशि नियमानुसार जब्त कर ली जायेगी।
6. विद्यालय द्वारा कैंटीन संचालन हेतु समय-समय पर दिये जाने वाले दिशा-निर्देशों का पालन करना आवश्यक होगा।